न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः– 143/2024

प्रार्थी::–

ढलाराम पुत्र धुकाराम जाति नाई निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगण::–

1. गीतादेवी पत्नी चतराराम जाति नाई निवासी थापन
2. गौतम सेन पुत्र चतराराम जाति नाई निवासी थापन
3. भुदराराम पुत्र हकमाराम जाति नाई निवासी थापन
4. रिंकु पुत्री चतराराम जाति नाई निवासी थापन
5. सुरेश सेन पुत्र चतराराम जाति नाई निवासी थापन
6. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा –सिवाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री गजेसिंह वकील प्रार्थी

2.श्री किशोरीलाल सोनी विप्रार्थी संख्या 3

3. विप्रार्थी संख्या 1,2, 4 व 6

आदेश

दिनांकः– 17.11.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 1251/1064 रकबा 1.4169 हैक्टेयर भूमि ग्राम थापन तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरे की बदिशा दक्षिणी की ओर विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि ख.स. 1082/572 रकबा 11.5335 हैक्टयर की भूमि के पूर्वी सेढे के सहारे–सहारे विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खेत से आगे गैर मुमकिन कटाण रास्ता होता हुआ खसरा संख्या 928/111 नया खसरा संख्या 1232/928 मे से मुडिया व इन्द्राणा से सिवाना डामर सडक मार्ग तक जाता है। प्रार्थी को अपने [illegible] आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में [illegible] लाल [illegible] दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 1 से 5 के उक्त खेत में से प्रचलित [illegible] रास्ते से [illegible] करना पड़ता है, जो कि [illegible] के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 से 6 के विरूद्व बावजूंद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील उपस्थित।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 5 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा थापन तहसील सिवाना अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 1251/1084 में आवागमन हेतु प्रार्थी के खेत के बदिशा दक्षिण में अवस्थित विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि ख.सं. 1082/572 की के पूर्वी सेढे के सहारे सहारे विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खेत से आगे गैर मुमकिन कटाण रास्ता खसरा संख्या 928/111 तक प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग लाल बिन्दू संख्या ए से बी को रास्ते घोषित कर, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 को देने हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

विप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी के पुराना खसरा संख्या 1251/1084 सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 600 में आवगमन हेतु विप्रार्थी के पुराना खसरा संख्या 1082/572 तथा सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 601 से रास्ता चाहा गया है विप्रार्थी ने खसरा संख्या संख्या 601 में आवगमन हेतु पुराना खसरा संख्या 571 सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 598 के बदिशा दक्षिण के माठ के सहारे–सहारे रास्ता घोषित किया जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत अनवानं भुदराराम बनाम अमराराम वगैरा प्रकरण संख्या 42/2020 पेश किया गया था उक्त प्रकरण में प्रार्थी ढलाराम द्वारा बतौर पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, विप्रार्थी के खेत में आवगमन हेतु खसरा संख्या 591 के उत्तरी माठ–माठ होकर पीढीयो से रास्ता चल रहा है जिसका कभी किसी ने आपत्ति पेश नहीं की तथा उक्त प्रकरण में ढलाराम द्वारा भी रास्ते को मौके पर होना स्वीकार किया गया था प्रार्थी को खसरा संख्या 598 में पूर्व में चल रहे रास्ते की जानकारी होने के पश्चात भी विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो नवीन रास्ता कायम घोषित नहीं किया जा सकता है, लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही [illegible] निकटतम एवं वैकल्पिक व प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता है प्रस्तावित रास्ते में किसी भी ढाणी व पुराना वृक्ष होना नहीं बताया है, तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ते हेतु प्रभावित खसरे की DLC दर 193000/– प्रति हैक्टेयर है, एवं रास्ते से प्रभावित भूमि की लम्बाई 95 मीटर गट्टा व चौडाई 4 मीटर रकबा 0–0380 हैक्टेयर बनता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:08 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम थापन तहसील सिवाना की प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1251/1084 सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 600 में आवगमन हेतु विप्रार्थी के पुराना खसरा संख्या 1082/572 तथा सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 601 मे से तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल ए से बी से दर्शित भूमि, जिसकी लम्बाई 95 मीटर चौड़ाई 4 मीटर रकबा 0–0380 हैक्टेयर भूमि है, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जावे तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाया जाने के पश्चात तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करे। आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2025/627 दिनांक 30.07.2025 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : बालोतरा

तहसील : सिवाना

दिनांक : 26/07/2025 11:06:25 AM

पटवारी हल्का : थापन

ग्राम : थापन

भू. अ. नि. क्षेत्र : थापन

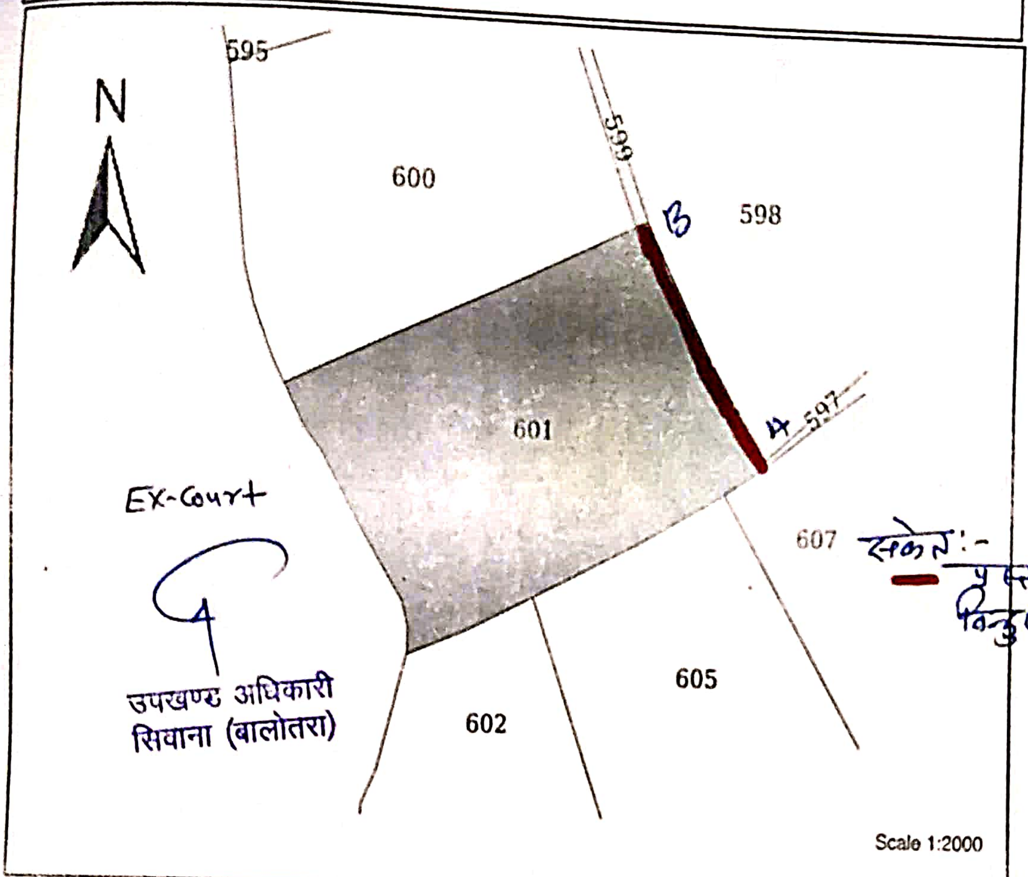

सकेत :- प्रस्तावित रास्ता बिन्दु A से B

खसरा संख्या :601 क्षेत्रफल : 1.4620 Hectare खाता संख्या : 180पुराना खाता संख्या :205

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: मगरा [1.4620, 4.39]

1.) गीतादेवी पत्नि चतराराम हिस्सा- 1/8 जाति- नाई सा. देह खातेदार

2.) गौतमसेन पुत्र चतराराम हिस्सा- 1/8 जाति- नाई सा. देह खातेदार

3.) भूदराराम पुत्र हकनाराम हिस्सा- 1/2 जाति- नाई सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडि, या शाखा SIWANA ADB

4.) रिंकु पुत्री चतराराम हिस्सा- 1/8 जाति- नाई सा. देह खातेदार

5.) सुरेशसेन पुत्र चतराराम हिस्सा- 1/8 जाति- नाई सा. देह खातेदार

अशोक

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

सत्य-प्रातिलिपि

P-35 के क्रमांक........................ पर दर्ज कर नकल जारी की गई।

पटवारी (भू.अ.) कुसीप

थापन

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:08 IST
Reason: SelfAttested